**भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ**

फा. सं. 6/46/2026-DGTR

**भारत सरकार**

**वाणिज्य विभाग**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

**(व्यापार उपचार महानिदेशालय)**

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 28.09.2026

**जांच शुरुआत अधिसूचना**

**सेतु मामला आईडी - AD/OI/049/2026**

**विषय: चीन जन. गण. से पैरा-टर्ट-ऑक्टाइल फिनॉल ("PTOP") फॉर्मल्डिहाइड टैकिफायर रेज़िन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

1. फा. सं. 6/46/2026-DGTR: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और फिनोरकेम लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद "आवेदकगण" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पैरा-टर्ट-ऑक्टाइल फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड ("PTOP") टैकिफायर रेज़िन (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।

2. आवेदकगण ने आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हो रही है और उन्होंने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने

का अनुरोध किया है। आवेदन में यह कहा गया है कि विचाराधीन उत्पाद से संबंधित कोई निष्कर्षित अथवा जारी व्यापार उपचार जांच नहीं है।

**क. विचाराधीन उत्पाद**

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "पैरा-टर्ट-ऑक्टाइल ("PTOP") फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड टैकिफायर रेज़िन" है। पीयूसी से संबद्ध केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स सर्विस रजिस्ट्री संख्या 26678-93-3 है।

4. पीयूसी एक थर्मोप्लास्टिक फिनोलिक रेज़िन है जिसका उत्पादन ऑक्टाइल फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से किया जाता है तथा सामान्यतः इसकी आपूर्ति सफेद, पीले से एम्बर रंग के पेस्टिल्स के रूप में की जाती है। पीयूसी के दायरे में PTOP फॉर्मल्डिहाइड टैकिफायर रेज़िन शामिल है, भले ही उसके विनिर्माण में कोई भी प्रक्रिया अपनाई गई हो, उसका भौतिक रूप (जिसमें पेस्टिल्स, फ्लेक्स, पेलेट्स, ग्रेन्यूल्स, लम्प्स अथवा कोई अन्य रूप शामिल है), पैकेजिंग, लेबलिंग, नामावली, वाणिज्यिक विवरण अथवा वह व्यापार नाम कुछ भी हो जिसके अंतर्गत उत्पाद भारत में आयात किया जाता है।

5. पीयूसी का उपयोग रबर कम्पाउंड में टैकिफायर के रूप में किया जाता है ताकि क्योरिंग और वल्कनीकरण से पहले घटकों के बीच आसंजन बनाए रखा जा सके। इसका मुख्यतः टायर विनिर्माण में उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग कन्वेयर बेल्ट तथा अन्य औद्योगिक रबर उत्पादों, होज़ और ट्यूबिंग, फुटवियर घटकों, रीट्रेड कम्पाउंड, मोल्डेड रबर वस्तुओं तथा प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर के अन्य अनुप्रयोगों में भी किया जाता है। आवेदन में कहा गया है कि भारत में पीयूसी के विनिर्माण, बिक्री अथवा आयात पर कोई अनिवार्य बीआईएस मानक लागू नहीं है और पीयूसी स्वतंत्र रूप से आयात योग्य है।

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए मापन की इकाई भार (MT/KG) है।

7. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों 3909 40 20, 3909 40 30 और 3909 40 90 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा

सकता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. आवेदकगण ने उत्पाद नियंत्रण संख्या ("PCN") पद्धति प्रस्तावित नहीं की है। सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति, यदि आवश्यक है, पर अपनी टिप्पणियां उन सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ तथा संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित की गई हों।

**ख. समान वस्तु**

9. आवेदकगण ने कहा है कि उनके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और चीन जन. गण. से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उत्पाद और आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं; वे तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदकगण द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान "समान वस्तु" माना जा रहा है।

**ग. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति**

10. आवेदन एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और फिनोरकेम लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकगण ने कहा है कि एसआई ग्रुप पर्याप्त अवधि से भारत में पीयूसी के विनिर्माण और बिक्री में संलग्न है; फिनोरकेम ने नई उत्पादन लाइन के चालू होने पर फरवरी 2024 में पीयूसी का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया; और भारत में पीयूसी के चार अन्य उत्पादकों का कुल भारतीय उत्पादन में सीमित हिस्सा है। आवेदन का कोई समर्थक नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकगण का सामूहिक उत्पादन समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का बड़ा अनुपात है और नियमावली के

नियम 5(3) के अंतर्गत निर्धारित अनुपात से अधिक है, तथा किसी अन्य भारतीय उत्पादक ने आवेदन के समर्थन या विरोध में कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया है।

11. आवेदकगण ने प्रकटन किया है कि एसआई ग्रुप की संबद्ध देश में एक संबद्ध इकाई है और उन्होंने कहा है कि उक्त इकाई ने जांच की अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात नहीं किया; किसी भी आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया; और न ही कोई आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबद्ध है।

12. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदकगण नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग हैं। आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

**घ. संबद्ध देश**

13. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

**ङ. जांच की अवधि**

14. आवेदकगण ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रस्तावित की है, जो 12 माह की अवधि है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक मानी है। क्षति जांच अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि शामिल है।

**च. कथित पाटन का आधार**

***i. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य***

15. आवेदकगण ने चीन के अभिगम प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) का उल्लेख करते हुए उस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए तथा चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां

विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

16. आवेदकगण ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में पीयूसी की घरेलू बिक्री कीमत अथवा उत्पादन लागत से संबंधित सूचना और ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को समान वस्तु के निर्यात की तुलनीय प्रतिनिधि कीमतें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं। अतः आवेदकगण ने कच्चे माल और उपयोगिताओं की लागत के सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों के आधार पर, अन्य विनिर्माण तथा सामान्य एवं प्रशासनिक ऊपरी व्ययों और उचित लाभ मार्जिन को जोड़ते हुए, कारखाना-द्वार सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-I का पैरा 7, जहां उसमें निर्दिष्ट पूर्ववर्ती आधार उपलब्ध नहीं हों, किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति देता है, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई अथवा देय कीमत को उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित करना भी शामिल है। आवेदकगण द्वारा दावा की गई सामान्य मूल्य पद्धति को जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ विचार में लिया गया है और बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश के आधार की उपलब्धता के साथ-साथ निर्मित सामान्य मूल्य के तत्वों की जांच जांच के दौरान की जाएगी।

***ii. निर्यात कीमत***

17. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम्स के लेन-देनवार आयात आंकड़ों में रिपोर्ट की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर किया गया है। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा तथा लदान और उतराई प्रभारों के मद में उपयुक्त समायोजन पर विचार किया गया है।

***iii. पाटन मार्जिन***

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि चीन जन. गण. से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक है और न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस

बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

**छ. क्षति और कारणात्मक संबंध**

19. आवेदकगण ने आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात घरेलू उद्योग को सारवान क्षति पहुंचा रहे हैं और इसके समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध डीजी सिस्टम्स के लेन-देनवार आयात आंकड़े प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि संबद्ध आयात क्षति अवधि के दौरान पर्याप्त स्तर पर बने रहे और जांच की अवधि के दौरान निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन और मांग के संबंध में भी बढ़े; संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी; और अन्य सभी स्रोतों से आयात नगण्य रहे। जांच की अवधि में संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रहा और उसने घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की। क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई, जबकि पिछले दो वर्षों में उसकी बिक्री लागत बढ़ी, जिसके फलस्वरूप जांच की अवधि में उसकी बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत की वसूली नहीं कर सकी। घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू बिक्री, जो 2024-25 तक बढ़े थे, जांच की अवधि में घट गए और उसकी मालसूची बढ़ गई, जबकि क्षति अवधि में उसका लाभ, नकद लाभ तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल घटे और जांच की अवधि में ऋणात्मक हो गए।

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की मात्रा प्रथम दृष्टया नगण्य नहीं है। नियमावली के अनुबंध-II को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्रथम दृष्टया मानते हैं कि घरेलू उद्योग को सारवान क्षति के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं; संबद्ध आयातों का प्रतिकूल प्रभाव उनकी कीमतों के माध्यम से तथा जांच की अवधि के दौरान उनकी मात्रा और बाजार हिस्सेदारी के माध्यम से भी परिलक्षित होता है; और कथित पाटन तथा ऐसी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के भी पर्याप्त साक्ष्य हैं।

**ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

21. आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी सारवान क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

22. आवेदकगण ने प्राधिकारी से नियमावली के नियम 13 के अनुसार प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने और अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करने तथा अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित नियमावली के नियम 20(2)(ख) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क पूर्वव्यापी रूप से लगाए जाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन अनुरोधों का निर्धारण जांच की शुरुआत के चरण में नहीं किया जाना है। जांच के उपयुक्त चरण पर, यदि और जिस सीमा तक आवश्यक हो, इन पर विचार किया जाएगा तथा हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

**झ. प्रक्रिया**

23. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

**ञ. सूचना प्रस्तुत करना**

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम और संगत मामला आईडी-AD/OI/049/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड

की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोज-योग्य PDF/MS-Word प्रारूप में तथा डेटा फाइलें MS-Excel प्रारूप में हों।

25. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार तथा भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुति कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित निगरानी रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक की अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (http://dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखें।

**ट. समय सीमा**

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृत नाम तथा संगत मामला आईडी - AD/OI/049/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात गोपनीय पाठ (CV) और अगोपनीय पाठ (NCV), आवेदन के अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां, अन्य बातों के साथ, ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित किए जाने वाले सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 37 दिनों के भीतर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम

6(4) के अनुसार, संबंधित निर्धारित कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

30. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

31. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी बाद की सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के समय विस्तार (यदि दिया गया हो) से अधिक समय के लिए आगे के विस्तार के अनुरोधों पर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

32. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

33. वर्तमान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के

नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुति अस्वीकार की जा सकती है।

34. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी प्रस्तुति (उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दायर करना आवश्यक है।

35. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

36. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीयता का दावा करता है। स्वभावतः गोपनीय होने का दावा की गई सूचना अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में, सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ यह बताते हुए उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन संभव न हो, रिक्त किया जाए; और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसकी प्रकृति के अनुसार ऐसी सूचना का उचित एवं पर्याप्त सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

38. अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार

पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण वाला कारणों का विवरण, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

39. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिसंचरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

40. जिस प्रस्तुति के साथ उसका सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित कारण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

41. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

42. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

43. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

**ढ. असहयोग**

44. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी

घोषित कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 28-09-2026
14:55:05

**अमिताभ कुमार**

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**